

न्यायालय-सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी-सिराज अली)

आप. प्रक. क.-27/2011
 संस्थित दिनांक-20.01.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.) ----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1-भिवराम उर्फ भुईराम पिता अकलसिंह धुर्वे, जाति गोंड, उम्र 39 वर्ष,
 निवासी-समरिया, थाना गढ़ी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-चैनसिंह पिता शुभूसिंह ताराम, जाति गोंड, उम्र 26 वर्ष,
 निवासी-समरिया, थाना गढ़ी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-केवलसिंह पिता पुसऊ धुर्वे, जाति गोंड, उम्र 42 वर्ष,
 निवासी-समरिया, थाना गढ़ी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-रूपचंद पिता जोहरसिंह धुर्वे, जाति गोंड, उम्र 38 वर्ष,
 निवासी-समरिया, थाना गढ़ी, जिला-बालाघाट (म.प्र.) ----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-10/09/2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34, 506 भाग-दो के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-14.01.2011 को समय 7:00 बजे स्थान बिलाइखार पाटी नाला ग्राम समरिया आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अंतर्गत लोकस्थान पर प्रार्थी/आहत सुद्धसिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर आहत को हाथ-मुक्कों एवं जलती हुई लकड़ी(बुहारी) से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित कर, संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-14.01.2011 को आरोपीगण, प्रार्थी सुद्धसिंह को खाना-खाने का कहकर बिलाइखार पाटीनाला ले गये, जहाँ खाना खत्म हो जाने की बात को लेकर आरोपीगण ने प्रार्थी को अश्लील

गालियां दिये और पकड़ लिये तथा हाथ-मुक्को से मारपीट की तथा चुल्हे में जलती हुई लकड़ी से प्रार्थी के हाथ, नाक व बांये कान, दांये जांघ पर मारे और जान से खत्म कर देने की धमकी दिये। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी सुद्धसिंह द्वारा पुलिस थाना गढ़ी में किये जाने पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.-03/2011 अंतर्गत धारा-294, 323, 324, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा घटना में प्रयुक्त सम्पत्ति को जप्त किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत सुद्धसिंह ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है। फलस्वरूप आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो के अपराध का शमन किया गया तथा शेष धारा-324/34 के अंतर्गत आरोपीगण का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-14.01.2011 को समय 7:00 बजे स्थान बिलाइखार पाटी नाला ग्राम समरिया आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अंतर्गत प्रार्थी/आहत सुद्धसिंह को उपहति कारित करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर आहत को जलती हुई लकड़ी (बुहारी) से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत सुद्धसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है, जो कि उसके ही गांव के रहने वाले है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व शाम के 5-6 बजे नाले के पास की है। घटना संकरात के समय की है नाला के पास आरोपीगण का खाना बन रहा था तो वह वहां चला गया था। आरोपी रूपचंद ने उसके पूछा कि तुम यहां कैसे आये हो। उसे आरोपीगण ने बताया कि तुमको सरपंच ने बुलाया है। आरोपीगण ने ढकेल दिये थे, जिससे वह गिर गया था और कान के पास एवं दाहिने हाथ के पंचे में खरौंच आयी थी। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में किया था जो प्रदर्श पी-1 है। वह हस्ताक्षर के रूप में अंगुठा नहीं लगाता है। उसने पुलिस को घटना स्थल नहीं बताया था। उसके समक्ष पुलिस

ने घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 नहीं बनाया था। उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे जलती हुई लकड़ी से मारा था। साक्षी ने केवल इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे हाथ-मुक्के से मारपीट की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसने शराब पी थी और खाना खत्म होने के बाद लामा-झुमी के कारण गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे आरोपी के द्वारा मारपीट नहीं की गई थी। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत होते हुए अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

6— चंदनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी को पहचानता है, जो उसके ग्राम में ही निवास करते हैं। घटना एक वर्ष पूर्व की है। वह आरोपीगण के बुलाने पर प्रार्थी सुद्धुसिंह के साथ पाटी नाला गया था। जब आरोपीगण और प्राथी की लड़ाई-झगडा हो रहा था तो वह डर कर अपने घर भाग गया था। उसके सामने पुलिस ने आरोपी भुईराम से कुछ भी जप्त नहीं किये थे तथा आरोपीगण को गिरफ्तार भी नहीं किये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने जलती हुई लकड़ी से आहत सुद्धुसिंह को मारपीट किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को स्वयं के गिरने के कारण चोट आयी थी और आरोपी ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी।

7— मोतिनबाई (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी को जानती है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 5-6 बजे ग्राम समरिया में पाटी नाला के पास की है। आरोपीगण पाटी नाला गये थे तो उसके पति सुद्धुसिंह को बोले की हमारे साथ चलो तो वह भी गये थे। सभी लोग पिकनिक मनाने गये थे। उसके द्वारा अपने पति सुद्धुसिंह को बोला गया कि पार्टी में मत जाओ तो आरोपीगण बोले कि सरपंच की पार्टी है, तो सुद्धुसिंह, चंदनसिंह के साथ पार्टी में गया था। उक्त घटना समय वह अपने घर पर थी। चंदनसिंह ने आवाज दिया और बताया कि आरोपीगण, सुद्धुसिंह के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिस पर वह मौके पर गई और सुद्धुसिंह को उठायी। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपीगण ने किस वस्तु से मारा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने सुद्धुसिंह को चुल्हे की जलती हुई लकड़ी से मारपीट किया था, जबकि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी, इस कारण वह यह नहीं बता सकती कि किस आरोपी ने किस चीज से मारपीट की थी। इस प्रकार साक्षी के कथन में परस्पर विरोधाभास होने से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में किये गये कथन विश्वसनीय

प्रतीत नहीं होते। इस कारण साक्षी के कथन से अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता।

8— जागूसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसके समक्ष आरोपी भिवराम से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। उसके समक्ष गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर दस्तावजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में पुलिस के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

9— डॉक्टर एन.एस.कुमारे (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-15.01.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी के आरक्षक गड्डे क्रमांक-835 द्वारा आहत सुब्बुसिंह पिता बिरसाम मेरावी को परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा आहत का परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत के ब्रिज आफ नोस पर एक कंटुजन, बांये हाथ पर बाहर की तरफ जले का निशान, दाहिने जांघ पर बाहर की तरफ एब्रेजन पाया था। साक्षी ने अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आयी सभी छोटे साधारण प्रकृति की थी तथा छोटे कडी व बोथरी वस्तु तथा गर्म वस्तु से आना प्रतीत होती है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को जलने की चोट गरम वस्तु पर गिर जाने से आ सकती है।

10— अनुसंधानकर्ता भीकमचंद (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16.01.2011 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-3/11, धारा-294, 323, 324, 506 भाग-दो भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था, जिस पर आहत की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी सुब्बुसिंह, साक्षी चंदन, मोतिनबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी भिवराम से साक्षियों के समक्ष एक पुरानी लकड़ी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी एवं साक्षियों के भी हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 से लगायत प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का कहना है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 प्रधान आरक्षक मोहनलाल छिपेश्वर के द्वारा लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसे वह पहचानता है, जिसके साथ उसने लगभग एक वर्ष कार्य किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी

साक्ष्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित मान भी लिया जाये तब भी अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

11— अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने घटना के समय आरोपीगण के द्वारा जलती हुई लकड़ी से आहत सुद्धुसिंह को मारपीट किये जाने के तथ्य अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया है। मामले में स्वयं आहत ने आरोपीगण के द्वारा कथित मारपीट किये जाने के तथ्य से इंकार कर घटना के समय शराब पीकर स्वयं गिर जाने का तथ्य स्वीकार किया है। अभियोजन के मामले में ऐसी युक्ति-युक्त संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिन्हें अभियोजन ने दूर नहीं किया है। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने खतरनाक साधन के रूप में जलती हुई लकड़ी का प्रयोग कथित मारपीट में करते हुए आहत सुद्धुसिंह को स्वैच्छया उपहति कारित की।

12— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपीगण ने आहत सुद्धुसिंह को जलती हुई लकड़ी से उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर आहत को खतरनाक साधन के रूप में जलती हुई लकड़ी(बुहारी) से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट